

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री की घोषणा में जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में बौला से श्रीकोट तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.280 हे० वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.040 हे० कुल भूमि 0.320 हे० लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

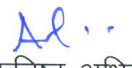
राज्य योजना के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा में जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में बौला से श्रीकोट तक मोटर मार्ग की स्वीकृत शासनादेश संख्या 1971/(1)/111(2)/13-55 (प्रा०आ०)/2012 दिनांक 14/03/2013 के द्वारा 2.00 कि०मी० लम्बाई हेतु लागत रु० 25.16 लाख की प्राप्त हुई हैं। मार्ग निर्माण की वास्तविक लम्बाई 0.875 कि०मी० आती है। प्रस्तावित मोटर मार्ग गौचर-सिदोली मोटर मार्ग के कि०मी० 06 से प्रारम्भ हो कर श्रीकोट गाँव तक जाता है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम-श्रीकोट प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे तथा ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र यातायात से जुड़ जायेंगे। इनका समग्र विकास होगा तथा साथ ही ग्रामीणों का तहसील मुख्यालय कर्णप्रयाग से सीधा सम्पर्क हो सकेगा। तथा अपनी नगदी फसलों को बाजार तक लाने में सुविधा होगी तथा उचित दाम पर बेच सकेंगे, जिससे ग्रामीणों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

मार्ग का संरक्षण इस प्रकार निर्धारित किया गया है की मार्ग निर्माण न्यूनतम आरक्षित/सिविल/वन पंचायत भूमि से गुजरे एवं कम से कम वृक्षों का पातन हो। मार्ग पर पडने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार से हैं।

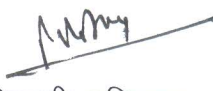
1-वन पंचायत भूमि 0.400 कि०मी० x 7 मी०	=	0.280 हे०
2-नाप भूमि 0.475 कि०मी० x 7मी०	=	0.332 हे०
3-मक डिस्पोजल हेतु	=	0.040 हे०
योग	=	0.652 हे० ।

अतः मार्ग निर्माण हेतु 0.320 हे० वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल प्लान सहित प्रस्ताव गठित कर लो०नि०वि० को हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।


अमीन


कनिष्ठा अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर